

-: राजस्थान सरकार:-  
न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0-38 / 2023

(जीसीएमएस नं0 2023/53)

उनवान -सरकार बनाम 1.अनुपम यादव पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, उम्र 32 वर्ष, जाति यादव, मालिक मैसर्स- ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी कमला नगर निकट कूकरा ब्लॉक मुजफ्फर नगर यू0पी0, 2. ज्योति प्रसाद पुत्र श्री रामपाल, डायरेक्टर मैसर्स-ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी विकास कुप, बडा उखाडा, राजपुर चुंगी, आगरा यू0पी0, 3. सौरभ साहनी पुत्र श्री सुभाष चन्द्र साहनी, डायरेक्टर मैसर्स-ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी 10 डिफेन्स एस्टेट, फेस -1 , ग्यालियर रोड, आगरा (यू.पी.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/52एफ0एस0एस0  
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -29.01.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त 1.अनुपम यादव पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, उम्र 32 वर्ष, जाति यादव, मालिक मैसर्स-ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी कमला नगर निकट कूकरा ब्लॉक मुजफ्फर नगर यू0पी0, 2. ज्योति प्रसाद पुत्र श्री रामपाल, डायरेक्टर मैसर्स-ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी विकास कुप, बडा उखाडा, राजपुर चुंगी, आगरा यू0पी0, 3. सौरभ साहनी पुत्र श्री सुभाष चन्द्र साहनी, डायरेक्टर मैसर्स-ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी 10 डिफेन्स एस्टेट, फेस -1 , ग्यालियर रोड, आगरा (यू.पी.) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/52एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.04.2023 को अभियुक्त/अप्रार्थी की मैसर्स- ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर फर्म के निरीक्षण के दौरान फर्म में लगभग 100 बोतल (प्रत्येक 200 एमएल) Nutritional Dietary Food Supplement (Levzyme DS ) आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त Nutritional Dietary Food Supplement (Levzyme DS ) में मिलावट का शक होने पर उक्त Nutritional Dietary Food Supplement (Levzyme DS ) में से 12 बोतल (प्रत्येक 200 एमएल) ग्राम Nutritional Dietary Food Supplement (Levzyme DS ) वास्ते नमूना जाँच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त Nutritional Dietary Food Supplement (Levzyme DS ) नमूना डी-2772 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जाँच रिपोर्ट एलएस/405/एसीटी/2023/448 दिनांक 21.04.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया Nutritional Dietary Food Supplement (Levzyme DS ) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्तगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

Gm

File  
Gm.  
24/11/22

—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण मु०नं०-38/2023 उनवानी सरकार बनाम अनुपम यादव बगैरा

(2)

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिसब्रान्ड Nutritional Dietary Food Supplement (Levzyme DS) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण मिसब्रान्ड Nutritional Dietary Food Supplement (Levzyme DS) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण श्री अनुपम यादव पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, उम्र 32 वर्ष, जाति यादव, मालिक मैसर्स- ओजिसो लाईफ साईस प्रा० लि० जी१/११६ रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी कमला नगर निकट कूकरा ब्लॉक मुजफ्फर नगर यू०पी०, २. ज्योति प्रसाद पुत्र श्री रामपाल, डायरेक्टर मैसर्स-ओजिसो लाईफ साईस प्रा० लि० जी१/११६ रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी विकास कुप, बडा उखाडा, राजपुर चुंगी, आगरा यू०पी०, ३. सौरभ साहनी पुत्र श्री सुभाष चन्द्र साहनी, डायरेक्टर मैसर्स-ओजिसो लाईफ साईस प्रा० लि० जी१/११६ रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी १० डिफेन्स एस्टेट, फेस -१, ग्यालियर रोड, आगरा (यू.पी.) पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम २००६ एवं नियम २०११ की धारा ५२ के तहत राशि ३३०००/-रुपये ( तेतीस हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Gm-  
ब्रह्मलाल जाट)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर(राज०)